कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली।

पत्रांकः247(6)पैट्रो0 / सीएफओ / बरेली–2020/ 737 दिनांकःदिसम्बर, 11 2020

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र0)
बरेली।

विषयः मैसर्सःइण्यिन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा–805 ग्राम बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल / आउटलेट पैट्रोल / डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अग्निशमन व्यवस्था का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–247(6) पेट्रो0सहा0 / शिविर सहा0–2020–21 दिनांकः23 नवम्बर,2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक के अनुकम में अग्निसुरक्षा एंव पेट्रोलियम एक्ट–1934 व पैट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ0आई0एस0डी0–225 के मानको के अनुरूप, प्रश्नगत मैसर्सः इण्यिन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा–805 ग्राम–बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट पैट्रोल / डीजल का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परसाखेडा बरेली द्वारा दिनांकः10–12–2020 को किया गया, तथा मानचित्र संख्याः<u>02-IOC-NH30-2020-L DATED – FEB 2020</u>का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुरूप परिशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

अ– स्थलीय निरीक्षण की वस्तुस्थितिः–

1–प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल मानचित्र के अनुसार–1575:00 वर्गमीटर है।

2–उक्त स्थल– 30:00 मीटर चौडे शाहजहाँपुर से बरेली जनपद बरेली मार्ग पर प्रस्तावित है।

3–प्रस्तावित स्थल के अग्र भाग मे सड़क, प्रष्ठ भाग मे खुला, तथा दोनो पार्श्व भाग में खुला स्थान है.

4–परिसर मे प्रवेश / निकास हेतु 11:50 मीटर चौड़ाई के दो अलग–अलग गेट प्रस्तावित है।

5–निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई लो / हाईटेन्शन लाइन गुजरी नहीं पाई गयी।

6–प्रस्तावित स्थल के आस–पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थो का भंडारण, दुकान चिमनी, भट्ठा निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है।

7–प्रस्तावित स्थल के आस–पास स्कूल / विद्यालय / अस्पताल निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है।

8–सम्बन्धित ईकाई एन0बी0सी0–2016 की श्रेणी–जी0 3 हाई हैजार्ड के अन्तर्गत आता है।

9–उक्त स्थल पर–20 के0एल0 क्षमता का भूमिगत पेट्रोल टैंक 01 अदद तथा–20 के0एल0 क्षमता का भूमिगत डीजल टैंक 02 अदद तथा 03 अदद डीजल / पेट्रोल के डिस्पेन्सर प्रस्तावित है।

<u>ब–प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा तथा जीव रक्षा प्रणाली व्यवस्थाः–</u>

<u>मानचित्र संख्याः 02-IOC-NH30-2020-L DATED –FEB 2020मे दर्शायी गये नोटस के 17 बिन्दुओं का अनुपालन करने के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–</u>

1. कैनापी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप मे अनुमन्य होगा। जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 06मीटर से कम न हों।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग मे एम0सी0बी0 / ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
4. प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए एवं उचाई 04 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 04मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
5. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।

HO 11/12/2020

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35–ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली–243001 (उ0प्र0)

Scanned by CamScanner

6. टैंक मे तेल भरते समय टैंक डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।

7. लारी से टैंक मे तेल भरते समय Proper Earthing होना अति आवश्यक है।

8. स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मे स्टैण्ड रखी जायें।

9. प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूसर 01 अदद क्षमता 09 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर 01 अदद क्षमता 09किलोग्राम के रखे जाने चाहिए। समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा मे होने चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।

10. अण्डर ग्राउण्ड दोनो टैंको के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूसर 04 अदद क्षमता 09 लीटर एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर 04 अदद क्षमता 09 किलोग्राम तथा 75 किलोग्राम क्षमता की डी0सी0पी0 ट्राली एवं 50 ली0 क्षमता फोम की ट्राली फोम मेकिंग ब्रांच तथा होज पाईप के साथ होनी चाहिए।

11. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूसर 01 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।

12. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूसर 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये और डीजल जनरेटर के एकजास्टपाइप की ऊँचाई नियमानुसार होनी चाहिए जो टैंक के वेन्ट से उचित दूरी पर होनी चाहिए तथा इसमे डी0जी0एम0एस0 प्रमाणित स्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए।

13. पेट्रोल पम्प पर लाईटनिंग अरेस्टर लगा होना चाहिए तथा लाईटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग पिट अलग से बनाया जाना चाहिए।

14. लाइसेन्स एरिया मे जक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ होना चाहिए जोकि आई0 एस0-2148 के मानको के अनुरूप होगी।

15. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

16. इमरजेन्सी प्लान ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुसार होना चाहिए।

17. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिग ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुसार होनी चाहिए तथा इन ट्रेनिग कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक नये कर्मचारी के नौकरी पर रखे जाने से पूर्व आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।

18. आपरेटिंग प्रोसीजर तथा आपातकाल मे बरती जाने वाली सावधानियाँ एवं अग्निशामक यंत्रों को चलाने की विधियाँ आदि के बोर्ड उपयुक्त जगह पर लगे होने चाहिए।

19. आपातकाल मे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य का पूर्ण विवरण बोर्ड पर अंकित होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को आपातकाल मे उसकी जिम्मेदारिया तथा किये जाने वाले कार्यो का ज्ञान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

20. केबिल्स ग्लेन्डिग के साथ होना चाहिए।

21. इलक्ट्रिल रूम मे हवा के प्रवाह की व्यवस्था होना चाहिए।

22. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध तथा मोबाइल फोन वर्जित का बार्ड लगा होना चाहिए।

23. फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0- 101, 9454418503 और जिला कंट्रोल रूम का फोन नं0-100 बोर्ड पर सार्वजनिक रुप से अंकित होना चाहिए।

24. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकाये-

(अ)- तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर ले।

(ब)- धूम्रपान न करें।

(स)- मोबाइल फोन बंद रखें।

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35-ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली-243001 (उ0प्र0)

Scanned by CamScanner

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1— मोबाइल फोन बंद रखें। 2— तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें। 3— सुनिश्चित कर लें कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए है। 4— तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	1— वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करें, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जाये। 2— धूम्रपान न करें। 3— खुली आग का प्रयोग न करे। 4— लारी से तेल टैंक मे तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं ओ0आईएस0डी0 मे उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने के साथ तथा प्रस्तुत मानचित्र के नोट मे निहित 17 बिन्दुओ पर निर्देशित व्यवस्थाओ को स्थापित/पालन कराने की शर्त के साथ, प्रश्नगत पेट्रोल पम्प को अग्निशमन विभाग का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है

प्रश्नगत स्थल स्वामी को निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त, पम्प का व्यवसायिक उपयोग करने से पहले स्थल का पुनः निरीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बरेली।

प्रतिलिपिः—
1—मैसर्सःइण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा न0—805 ग्राम बाकरगंज तहसील फरीदपुर ,जिला बरेली में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल/आउटलेट को स्थापित करने हेतु उपरोक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

11/12/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बरेली।

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35—ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली—243001 (उ0प्र0)

Scanned by CamScanner